

14-1-21.

68-350/ अफीलान्ट 3130/ अतिरिक्त संघ  
द्वारा कर्म स्थापित किया गया है फलस्वरूप  
प्रतिबन्धित दिनांक 22-1-21 के पत्र के

Dr  
अतिरिक्त जिला कलक्टर  
भरतपुर (राज.)

22-1-21.

अफीलान्ट 3130/ संचालक सरकार 350/  
अफीलान्ट के कई-कार काकाज लगवाई  
गई लेकिन अफीलान्ट उपस्थित नहीं आये  
इस परीत देना है कि अफीलान्ट के  
प्रकरण चलाने में कोई उल्लंघन  
नहीं है कतः अफीलान्ट अफीलान्ट  
अदक में रखी अदक चाँडरी अफीलान्ट  
में स्थापित की जाती है परन्तु  
किसल सुकर देकर काउ प्रॉबि डाखिन  
रुफ्तार है

Dr  
अतिरिक्त जिला कलक्टर  
भरतपुर (राज.)